मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 2 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 11, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2006 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्यादित, भोपाल का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा क्रमांक 6-6-06-इक्कीस-ब-दो, दिनांक 2 सितम्बर, 2006 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री रुस्तम सिंह, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का चतुर्थ एवं पंचम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 1998 तथा दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री गृह, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का तेइसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2003-2004 पटल पर रखेंगे.

4. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, रीवा नगर के समीप गोविंदगढ़ तालाब में निजी यात्री बस गिरने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर में बाढ़ पीडितों को आर्थिक सहायता मुहैया न कराई जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. सभापति तालिका की घोषणा

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निर्धारित समय

1 घण्टा 30 मि. (1) प्रदेश में अतिवृष्टि एवं अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अश्विन जोशी, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, इन्द्रजीत कुमार, रामनिवास रावत, रामलखन शर्मा, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

1 घण्टा 30 मि. (2) प्रदेश में चिकुनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, डेंगू बुखार आदि संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री मनमोहन शाह बट्टी, आरिफ अकील, सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 1 नवम्बर, 2006